



बिहार सरकार

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014
संख्या—FC/133/2021-७०७

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भाठवोसे०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक—29/12/2023

विषय— श्री रंजीत मंडल द्वारा गया जिलान्तर्गत ऐमा मौजा के खाता संख्या-141, प्लॉट संख्या-223, थाना संख्या-94, थाना-खिजरसराय में SH-4 खिजरसराय—गया पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.033 है. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/147531/2021/1261, दिनांक 13.07.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 29.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है—

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 13.07.2023 में निहित कंडिका	अनुपालन
A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.		
1	The User agency shall transfer the cost of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु ₹ 8,65,161.00 (₹ 0 आठ लाख पैसठ हजार एक सौ एकसठ) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270147531399, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CNRBR52023092163932212 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.033 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.033 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 31,607/- (एकतीस हजार छः सौ सात रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270147531399, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CNRBR52023092163932212 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.09.2023 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval	जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण—पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:

1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। उक्त कार्यों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the labours and staff engaged	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक रवीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.033 हेक्टर सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम रवीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—FC/133/2021- ९८९

दिनांक— २९/१२/२०२३

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, गया अंचल, गया /वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल,
गया एवं श्री रंजीत मंडल, ग्राम—ऐमा, पोस्ट—ऐमा, थाना—खिजरसराय, जिला—गया,
पिन—824233 को सूचना हेतु प्रेषित।


(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi					
2	State/Disstt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Gaya/ Gaya Forest Division, Gaya.					
3	Name of User Agency nature of proposal	Shree Ranjeet Mandal / BPCL Retail Outlet					
4	Extent of forest area involved	0.033 Ha.					
5	Whether Original, or extension	Original					
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-					
7	Date of 1st stage Clearance	13.07.2023					
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.						
	a. Compensatory Afforestation	8,65,161.00					
	b. Additional CA	-NA-					
	C. Penal CA	-NA-					
	d. Catchment Area Treatment	-NA-					
	e. Wildlife Management Plan	-NA-					
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-					
	g. Net present Value	31,607.00					
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-					
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date		Amount	Head
		1	e-	CNRBR52023092163932212	dt. 21.09.2023	31,607/-	NPV
		2	challan			8,65,161/-	CA
					Total-	8,96,768/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.					
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 21.09.2023					
12	Any other remarks						


(Arvinder Singh)
 Signature of APCCF (CAMPA)-
 cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

सेवा मे.

1061

13/12/2023

(49)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक—

विषय—
07/07/2023

श्री रंजीत मंडल द्वारा गया जिलान्तर्गत ऐमा मौजा के खाता संख्या—141, प्लॉट संख्या—223, थाना संख्या—94, थाना—खिजरसराय में SH-4 खिजरसराय—गया पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.033 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 552, दिनांक 02.08.2023,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/147531/2021/1261, दिनांक 13.07.2023 द्वारा दो भागों में (A में 1—6 शर्त एवं B में 1—9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि ₹. 8,65,161.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, Account No.-1506270147531399, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-CNRBR52023092163932212 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद मे मेरे द्वारा द्वारा 0.033 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये ₹० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल ₹० 31,607/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, Account No.-1506270147531399, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-CNRBR52023092163932212 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 21.09.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण—पत्र इस के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website-<http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

(43)

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूँगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
(b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
(c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त

विश्वासभाजन,

८८८ वीर-मृत
२९-११-२०२३

रजीत मंडल,

ग्राम—ऐमा, पोस्ट—ऐमा,

थाना—खिजरसराय, जिला—गया,

पिन—824233

42

AGENCY COPY

यूनियन बँक  **Union Bank**
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-09-2023

Agency Name.	RANJEET MANDAL
Application No.	70147531399
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/147531/2023
Location.	BIHAR
Address.	Village-Aima, PO-Aima, PS-Khizersarai, Gaya
Amount(in Rs)	896768/-

Amount In Words :Eight Lakh Ninety-Six Thousand Seven Hundred and Sixty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270147531399 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through chal even after 7 working days, then kindly mail a copy of id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ubin0903710@unionbankofindia.bank



CNRBR51093091163932212

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, गया के तहत रेखिक परियोजना निर्माण
हेतु FRA, 2006 का प्रमाण पत्र


(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या 6849 दिनांक 17/10/2023

वन प्रमणडल पदाधिकारी का वन सं. 1474 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा गया जिला
अन्तर्गत खिजरसराय अंचल के मौजा-एमा, थाना सं-94, खाता सं-141, खेसरा सं-223 में
खिजरसराय SH-4 पथ के किनारे BOCL का रिटेल आउटलेट वन संरक्षण अधिनियम 1980 के
अन्तर्गत 0.033 हेक्टेयर वन भूमि पर अपयोजन (Diversion) के क्रम अनुशासा किया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी नीमचक बधानी, गया का पत्र सं 2145/सा० दिनांक 20.09.2023
के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपर्युक्त वर्णित परियोजना क्षेत्र में गया जिला अन्तर्गत खिजरसराय
अंचल के मौजा-एमा, थाना सं-94, खाता सं-141, खेसरा सं-223 में खिजरसराय SH-4 पथ के
किनारे BOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु 0.033 हेक्टेयर वन भूमि पर वर्ष 2001 एवं 2011
के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है।

प्राप्त अनुशासन एवं जीव व्यवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित
रेखिक विकास परियोजना (कड़िका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित
वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया
है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की
अस्तित्वित आबादी नहीं है।



जिला पदाधिकारी,
गया।

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a
plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to
the 13th day of December 2005 and is located in villages having no
recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and
Census-2011.



District Magistrate,
Gaya